डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र (DACE)
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)
निःशुल्क कोचिंग स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु दिशानिर्देश वर्ष 2026

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन (DAF) के माध्यम से महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) में डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र (DACE) को संचालित किया गया है।

वर्ष 2026 में कर्मचारी चयन आयोग (SSC) तथा बैंकिंग (Banking) की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 06 माह की निःशुल्क कोचिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके अनुसार, इच्छुक आवेदक 06/03/2026 से 16/03/2026 (रात 11.59 बजे तक) तक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

सभी आवेदकों से निवेदन है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व संबंधित दिशानिर्देशों को नोट करें:

निर्धारित सीटों की संख्या : 100

अनुसूचित जाति (SC) के लिए 70 सीटें

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 30 सीटें

30% सीटें महिला आवेदकों के लिए आरक्षित है

डीएसीई, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में कोर्स और सीटों की संख्या:

1. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) - 50 सीटें
2. बैंकिंग परीक्षा (Banking) - 50 सीटें

प्रवेश :

DACE में निःशुल्क कोचिंग के लिए प्रवेश 12वीं और स्नातक में प्राप्त प्राप्तांकों की मेरिट के अनुसार होगा। मेरिट सूची द्वारा चयनित विद्यार्थियों को उनके आधार से संलग्न बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रति माह रुपए 4000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। यह स्टाइपेंड उनकी कक्षाओं में 90% अनिवार्य उपस्थिति एवं उनकी संतोषजनक प्रगति के सतत मूल्यांकन के आधार पर देय होगा।

शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता:

A.) आवेदक के पास केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड की कक्षा 12वीं का प्रमाणपत्र न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर की डिग्री न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

B.) स्नातक/स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष अथवा अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहें विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं।

C.) राष्ट्रीयता: आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

D.) केवल अनुसूचित जाति (SC) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 8 लाख या उससे कम है, वे ही इस स्कीम के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र होंगे।

E.) आवेदक के पास एक वैध आधार क्रमांक और आधार क्रमांक खाते से जुड़ा हुआ बैंक खाता होना चाहिए।

F.) यदि आवेदन करते समय आवेदक के पास आधार क्रमांक नहीं है, तो उसे अपना EID क्रमांक जमा करना होगा। यद्यपि, DBT द्वारा भुगतान आधार क्रमांक मिलने के बाद ही जारी किया जाएगा और आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

G.) आय प्रमाणपत्र: स्वरोजगार वाले माता-पिता/अभिभावक की आय की घोषणा का प्रमाणपत्र राजस्व अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए, जो तहसीलदार पद से कम का न हो।

H.) नौकरीपेशा माता-पिता/अभिभावक को अपने नियोक्ता से आय प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। यदि आय का कोई अन्य स्रोत भी हो तो राजस्व अधिकारी द्वारा जारी समेकित आय प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

I.) किसी भी परिस्थिति में, यदि कोई विद्यार्थी केंद्र अथवा राज्य सरकार की स्कीम का दो बार से अधिक लाभ उठाता है, तो उसे इस स्कीम के लिए अपात्र कर दिया जाएगा।

J.) विज्ञापन में बताए गए अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आवेदकों के लिए शैक्षणिक पात्रता, आयु सीमा, जाति प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमी लेयर की पात्रता का प्रमाणपत्र और अन्य सभी दस्तावेजों पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान एवं अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार विचारणीय होंगे।

सामान्य निर्देश :

1. डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के अंतर्गत कोचिंग में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को आवश्यक पात्रता मानदंड के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए।

2. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों के पास एक वैध ई-मेल पता और पहचान प्रमाण होना चाहिए।

3. प्रवेश के समय उम्मीदवार को अपनी आयु, योग्यता और जाति से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यदि उम्मीदवार सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है तो उसकी उम्मीदवारी को इस संबंध में बिना किसी सूचना के रद्द माना जाएगा।

4. विश्वविद्यालय के पास चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी नियम और शर्तों/दिशानिर्देशों में संशोधन/परिवर्तन/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

5. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को छात्रावास की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

6. कार्यक्रम की अवधि 06 माह के लिए होगी।

7. चयनित छात्र पाठ्यक्रम की अवधि तक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की इंटरनेट और पुस्तकालय सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

8. आवेदन करने में यदि कोई असुविधा हो तो dace.mgahv@hindivishwa.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं।

नोट: डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र (DACE) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) में निःशुल्क कोचिंग में आवेदन, प्रवेश एवं मेरिट आधारित चयन की समस्त प्रक्रिया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली (भारत सरकार) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

नोडल अधिकारी

डीएसीई, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

Dr Ambedkar Centre of Excellence (DACE)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha. (Maharashtra)
Free Coaching Scheme Guideline for Online Application for Year 2026

The Ministry of Social Justice and Empowerment (GOI) in collaboration with Dr. Ambedkar Foundation (DAF) is running Dr. Ambedkar Centre of Excellence (DACE) at Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha. (Maharashtra)

Online applications are invited for the 06 Months free coaching of Staff Selection Commission (SSC) and Banking for the Year 2026. Accordingly, the interested candidate shall apply online on website from 06/03/2026 to 16/03/2026 (up to 23.59 hours at night).

All the applicants should note the following details before applying online:

Sanctioned Seats: 100

70 seats for Scheduled Castes (SC)

30 seats for Other Backward Classes (OBC)

30% Seats are reserved for female Applicants

Courses and Number of Seats at DACE, MGAHV, Wardha:

1. Staff Selection Commission (SSC) – 50 Seats
2. Banking Examination – 50 Seats

Admission:

Admission in the coaching classes at DACE will be Percentage based merit of 12th and Graduation. Selected candidates will be entitled to receive Rs 4000 per month as stipend under DBT in their Aadhaar linked account, subjected to the condition of securing minimum 90% monthly attendance. This stipend will be payable on the basis of 90% compulsory attendance in their classes and continuous assessment of their satisfactory progress.

Educational Qualification and Eligibility Criteria:

A.) The candidate must have secured at least 50% marks in standard 12th and Graduation from a recognized board established by the law of Central Government or State Government and must have graduated from a recognized University/Deemed University established by law by Central Government or State Government.

B.) Candidates who are in the last semester or last year of graduation/ post-graduation cannot apply

C.) Nationality: Candidate should be a citizen of India.

D.) Only SC and OBC students with annual family income of 8 lakhs or less from all sources will

be eligible for benefits under this scheme.

E.) The candidate should have a valid Aadhaar number, and a bank account linked with Aadhaar number.

F.) If the candidate does not have Aadhaar number while applying then he/she has to submit his/her EID number. However, the payment of DBT will be released only after receiving the Aadhaar number and will be credited to the bank account linked to the candidate's Aadhaar.

G.) Income Certificate: Income declaration of self-employed parents/guardians should be in the form of a certificate issued by a Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.

H.) Employed parent/guardian is required to obtain income certificate from his employer and submit consolidated certificate from Revenue Officer including any other additional source of income.

I.) Under any circumstances, a student availing benefits more than two times of such Central or State Government scheme will be disqualified for this scheme.

J.) In case of SC and OBC category candidates mentioned in the advertisement, the educational qualification, age limit, relevant caste certificates, certificate of eligibility for non-creamy layer certificate and all other documents will be considered as per the extant instructions of State Government and Government of India.

General Instructions:

1. Before applying for admission to coaching under the Dr. Ambedkar Centre of Excellence, MGAHV, Wardha candidates must satisfy themselves about the required eligibility criteria.

2. Candidates must have a valid email address and identity proof before applying.

3. Candidates must submit all original certificates related to their age, qualification, and caste at the time of admission. If a candidate fails to submit the original documents for verification, their candidature will be considered cancelled without any further notice.

4. The University reserves the right to amend, modify, or cancel any terms and conditions/guidelines at any stage of the selection process.

5. No hostel facilities will be available to Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha.

6. The duration of the program will be for 06 months only

7. Selected students can use the internet and library facilities of Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha for the duration of the course.

8. If there is any inconvenience in applying, you can email at dace.mgahv@hindivishwa.ac.in

.

Note: The entire process for application, admission and Merit Based Selections in free coaching at Dr. Ambedkar Centre of Excellence (DACE) Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha. (Maharashtra), will be as per the guidelines issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi (GOI).

Nodal Officer

DACE, MGAHV Wardha